

## डिको मुकदमा इवतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)  
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

- कैलाशचन्द पुत्र बिन्जा राम जाति माली निवासी चक चारावास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज।

-वादी

बनाम

- तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज।

-प्रतिवादी

### दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 724 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम चक चारावास तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 14 में वादी का गलत दर्ज नाम "कैलाशचन्द पुत्र बीजा" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "कैलाश चन्द पुत्र बीन्जा राम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें। बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत  
ओहदा

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पारी केन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

## ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. कैलाशचन्द पुत्र बिन्जा राम जाति माली निवासी चक चारावास,  
तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर ३२५/२०२५

जीसीएमएस नं० २०२५/१३६५


आदेश

दिनांक -१५/११/२०२५

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम चक चारावास तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या १४ में वादी का गलत दर्ज नाम "कैलाशचन्द पुत्र बीजा" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "कैलाश चन्द पुत्र बिन्जा राम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना